उपरोक्त तीन परियोजनाओं को त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी रूप से अनुमोदित कर दिया गया था, और इसलिए, खर्च को सामान्य त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम आवंटन में से वहन किया जाना है, जिसे 1994–95 के लिए बढ़ा दिया गया है ।

संसद सदस्यों द्वारा एक करोड़ रुपये व्यय किये जाने की योजना में प्राथमिक मदें

7100. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों को विकास संबंधी प्रयोजनों हेतु एक करोड़ रुपए की राशि व्यय करने के प्राप्त प्रस्तावित अधिकार के संदर्भ में इस राशि को व्यय करते समय किन-किन मदों को प्राथमिकता प्रदान की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है कि यदि ये कार्य राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा संपादित किए जाते हैं; जैसी कि उक्त योजना में परिकल्पना की गई है तो इससे अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी ; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में अपनी कोई योजना बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर : (क) से (ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्राथमिक तौर पर परिसम्पत्तियों के सृजन के कार्य होंगे और किन्हीं साज-सामान उपकरणों आदि की खरीद अथवा राजस्व खर्च की अनुमति नहीं होगी । निर्माण कार्यों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उन्हें एक अथवा दो कार्य मौसमों में पूरा किया जा सके और जिससे टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियों का सृजन हो सके । प्रस्तावित किसी भी निर्माण कार्य की लागत 10.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए । इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य जिला योजनाओं और जिले में चल रहे केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय, क्षेत्र के कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं और कार्यक्रमों के सामान्य पैटर्न के अनुरूप होने चाहिए । यदि जिला कलेक्टर संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यों की सूची में से किसी भी कार्य पर विचार करने और उसे शुरू करने में असहमत होता है तो उसे इसके कारणों, आवश्यकताओं आदि के बारे में योजना विभाग को यथाशीघ्र एक विस्तृत रिपोर्ट भेजनी चाहिए और किसी भी दशा में यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के जून के अंत से पूर्व भेज दी जानी चाहिए, जिसके एक प्रति ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए । राज्य योजना विभाग इस रिपोर्ट की जांच करेगा और यदि आवश्यक होगा तो भारत सरकार के नोडीय मंत्रालय के साथ परामर्श करके उपयुक्त कार्रवाई करेगा

Amount allotted under Rural Development Schemes to Punjab

7101. SHRI IQBAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total amount allotted to Punjab under different rural development schemes and

(b) the amount actually utilised out of it in the year 1993-94 and so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) and (b) The amount allocated and utilised under Major Rural Development Programmes namely—(i) Integrated Rural Development Programme (IRDP), (ii) Jawahar Rozgar Yojana (IRY) and Accelerated Rural Water